RCMS
2020/00054

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 37 सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.24.02.2020	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चारिंया की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 177 पुराना खाता संख्या 306 में खातेदार हनुमान सिंह पुत्र मगन सिंह हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें बैंक की शाखा का नाम नहीं लिखा हुआ है। जो गलत है अतः खातेदार हनुमान सिंह पुत्र मगन सिंह कि राहिन प्रविष्टी मे बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर करने का आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का मुरडाकिया व उपतहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 177 पुराना खाता संख्या 306 में खातेदार हनुमान सिंह पुत्र मगन सिंह हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें बैंक की शाखा का नाम नहीं लिखा हुआ है। । जो गलत है अतः खातेदार हनुमान सिंह पुत्र मगन सिंह कि राहिन प्रविष्टि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर दुरस्त किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उपतहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भांगीवाद तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 जमाबंदी नया खाता संख्या 177 पुराना खाता संख्या 306 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	चारिंया	177/306	हनुमान सिंह पुत्र मगन सिंह हिस्सा 1/2 निवासी बामणिया खातेदार राहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	हनुमान सिंह पुत्र मगन सिंह हिस्सा 1/2 निवासी बामणिया खातेदार राहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर को भिजवाई जाये। बैंक राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 14:07:09 IST
Reason: SelfAttested